मैं .... पिता ...., उम्र.........................., पता.................
.... का स्थायी निवासी हूँ तथा मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि: –

- यह है कि मेरा चयन अतिथि व्याख्याता, संकाय.. के पद पर राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया में हुआ है तथा मैं सेवा के निम्न शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

ADV No. GPK/05/2024

<u>यह कार्यानुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जायेगी: –</u>

1. अतिथि व्याख्याताओं को प्रत्येक संकाय/विषय में आवश्यकतानुसार आवंटित विषय के लिए वर्ग रूटीन के अनुसार वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला का कार्य कराना होगा।
2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 3016, दिनांक 02.12.2021 के आलोक में प्रत्येक वर्ग कार्य हेतु अतिथि व्याख्याताओं के लिए रू0 1400/– (चौदह सौ रूपये) मात्र प्रति घंटी की दर से एवं अधिकतम रू0 45000/– (पैतालिस हजार रूपये) मात्र होगी।
3. यह आदेश अंशकालीक (वर्ग कार्य आधारित) होने के कारण मानदेय के अलावा किसी प्रकार का अन्य भुगतान/कटौती (आयकर को छोड़कर) नहीं की जायेगी।
4. वर्ग अध्यापन/प्रयोगशाला कार्य के अलावा प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अन्य संस्थानिक कार्यो का भी संपादन संतोषप्रद रूप से करना आपेक्षित है। इन कार्यों का मानदेय विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), बिहार सरकार का पत्रांक– 1440, दिनांक 20.06.2017 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार गणना कर निर्धारित की जाएगी परन्तु मानदेय की राशि अधिकतम मानदेय की राशि से ज्यादा नहीं होगी।
5. यह कार्यानुमति पूर्ण रूप से अस्थायी, आवश्यकता और पारिश्रमिक आधारित वैकल्पिक व्यवस्था होगी तथा भविष्य में स्थायीकरण/नियमितीकरण आदि हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. अतिथि व्याख्याता की सेवाएँ असंतोषप्रद पाए जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. विज्ञापित पद एक वैकल्पिक/कार्यकारी व्यवस्था के तहत है। विभाग द्वारा नियमित/संविदा व्याख्याता की नियुक्ती होने पर इन पदों के विरूद्ध दी जाने वाली कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
8. यह कार्यानुमति दिनांक 31.05.2025 तक के लिए निर्गत की जायेगी। संतोषप्रद कार्य तथा छात्रों के Feedback के आधार पर अगले सत्र के लिए कार्यानुमति दी जा सकती है।
9. अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के कार्यानुमति आदेश रद्द की जा सकती है।